कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री जय मॉ दुर्गा हैण्डलूम, जी0टी0रोड मलाकभायल, कोखराज, कौशाम्बी ।**

प्रा0प0सं0– **239 / 2008**

प्रार्थी की ओर से– **श्री शिव अभिलाष मिश्रा, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय

I– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 12–5–2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा **हैण्डलूम कम्बल** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–I वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या–1124 दिनांक 05–07–2008 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें कहा गया है कि कम्बल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति की अनुसुची 1, 2, 3 व 4 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है अतः अनुसुची–5 के अनुसार करदेयता 12.5 प्रतिशत निर्धारित होनी चाहिए ।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री शिव अभिलाष मिश्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4– मेरे द्वारा व्यापारी के धारा–59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया गया। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में कम्बल वैट उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची 1, 2, 3, 4 में वर्गीकृत नहीं है 1अतः कम्बल अनुसुची–5 में आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0 / 10–2–09

दिनांकः:10 फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।